दिनांक 25 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीया राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के मुख्य बिन्दुः-

- भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित ''राष्ट्रीय मतदाता दिवस'' के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं चुनाव आयोग के साथ-साथ निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी लोगों को बधाई देती हूँ।
- मेरी दृष्टि में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का मूल उद्देश्य मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करना है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अच्छे और योग्य प्रतिनिधियों के चयन हेतु करें।
- मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि के प्रलोभनों से दूर रह कर अपने अन्तरात्मा की आवाज पर अपने मत का प्रयोग करें। देश का हर नागरिक जागरूक हो एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझे।
- भारत निर्वाचन आयोग का अपने स्थापना काल से अब तक यह सतत् प्रयास रहा है कि सभी योग्य व्यक्तियों, जो मतदाता बनने की योग्यता रखते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इस हेतु हर वर्ष इसका का review किया जाता है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने मत देने के अधिकार से वंचित न हो। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग

समय-समय पर मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से सभी योग्य व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करता है।

- इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि प्रत्येक योग्य नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक के हो अपने जागरूक होने का परिचय देते हुए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवायें। हमारे मतदाता जन-प्रतिनिधि के चयन में अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
- एक बार मैं पुनः भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर इस राज्य की जनता की ओर से आयोग को बधाई देती हूँ। साथ ही राज्य की जनता को अपनी शुभकामनायें देते हुए यह उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी चुनाव प्रक्रिया में उनकी और बेहतर भागीदारी सुनिश्चित होगी।

जय हिन्द! जय झारखण्ड!